न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 10/2025

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

वकील प्रार्थीगण :– श्री रामजीवन विश्नोई

वकील विप्रार्थीगण :– श्री शाकर खान एच.

अनवान : बीजला वगैरा बनाम कालू उर्फ चान्दणा वगैर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांक :–28.10.2025

प्रार्थी (मूल आवेदन में विप्रार्थी) की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जिसके जवाब हेतु विप्रार्थी (मूल आवेदन के प्रार्थी) अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये गये बावजूद पेश नहीं किया। अतः विप्रार्थी (मूल आवेदन के प्रार्थी) अधिवक्ता के जवाब का अवसर बन्द किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं का दौहराते हुए कथन किया कि उक्त आवेदन में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा का माननीय जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर द्वारा दिनांक 28.02.2025 को भू–रूपान्तरण / किस्म परिवर्तन आदेश पारित किया जा चुका है। किस्म परिवर्तन होने एवं रेकर्ड सही पाये जाने के कारण उक्त राजस्व आवेदन चलने योग्य नहीं होने से खारीज फरमाया जावे। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर मूल आवेदन खारीज फरमाया जावे।

विप्रार्थी (मूल आवेदन में प्रार्थी) अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त आवेदन जब पेश किया गया था तब वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि थी, आवेदन के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजी क[illegible] परिवर्तन की गई जो न्यायोचित नहीं है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1[illegible] सीपीसी का सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना [illegible]न्तर्गत धारा 151 सीपीसी का खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:08:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन /अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदन में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा का माननीय जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर द्वारा दिनांक 28.02.2025 को भू–रूपान्तरण / किस्म परिवर्तन आदेश पारित किया जा चुका है। किस्म परिवर्तन होने एवं रेकर्ड सही पाये जाने के कारण उक्त राजस्व आवेदन चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी (मूल आवेदन में प्रार्थी) का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:08:13 IST
Reason: SelfAttested